कार्यक्रम • रेरा की ओर से दरभंगा प्रमंडल में संवेदीकरण सह उन्मुखीकरण कार्यशाला

रिपोर्ट नियमित रूप से भेजें, इससे रेरा का पालन प्रभावी ढंग से होगा

भास्कर न्यूज़|दरभंगा

भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने कहा है कि घर या प्लॉट खरीदने वालों को किसी भी भू-सम्पदा परियोजना में रुपये लगाने से पहले रेरा निबंधन की जांच जरूर की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि "ऐसा भी देखने में आ रहा है की कुछ लोग थोड़े पैसे बचाने के लिए रेरा निबंधन के बिना राशि लगा देते हैं। उन्हें सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि ऐसे परियोजनाओं के घर अथवा प्लॉट के निबंधन पर भी रोक लगाई जा सकती है। ऐसा होने पर खरीदार का राशि फंस सकता है। रेरा बिहार अध्यक्ष ने प्राधिकरण द्वारा आयोजित दरभंगा प्रमंडल के जिलों के लिए आयोजित एक संवेदीकरण-सह-उन्मुखीकरण कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा। इससे आगे उठाये जाने वाले कदमों में मदद मिलती है। यह आवश्यक है कि जिलों से रिपोर्ट नियमित रूप से भेजी जाए ताकि रेरा कानून का पालन और प्रभावी ढंग से कराया जा सके। रेरा बिहार के जांच आयुक्त संजय सिंह, प्रमंडलीय आयुक्त हिमांशु कुमार राय, डीआईजी मनोज कुमार तिवारी, दरभंगा के डीएम कौशल कुमार, समस्तीपुर के डीडीसी सूर्य प्रताप सिंह आदि दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रड्डी सहित दरभंगा, समस्तीपुर एवं मधुबनी के 25 नगर निकायों के अधिकारियों एवं दरभंगा,समस्तीपुर एवं मधुबनी के जिला उप-निबंधकों ने इस कार्यशाला में हिस्सा लिया।

रेरा के निदेशक विवेक सिंह, दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त सिमांशु कुमार राय व अन्य।

आगे से ऐसी शिकायतों को रेरा तक पहुंचा दिया जाएगा : एसएसपी

दरभंगा एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी ने कहा कि आम लोगों की शिकायतों के रेरा तक पहुंचाने वाली व्यवस्था में विशेष रुचि दिखाई और कहा की आगे से ऐसी शिकायतों को रेरा तक पहुंचा दिया जाएगा। रेरा बिहार ने क्षेत्रीय पदाधिकारियों की सुविधा के लिए प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारियों एवं आरक्षी अधीक्षकों को यह सुविधा दी है कि अगर उन्हें किसी पीड़ित घर खरीदारों की शिकायत प्राप्त होती है तो वो इसे रेरा बिहार के पोर्टल पर प्राधिकरण को भेज सकते हैं ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके। इस सत्र के प्रारंभ में रेरा बिहार के सचिव अनिमेष पांडेय ने आगंतुकों का स्वागत किया तथा उन्हें इस कार्यक्रम के आयोजन के उद्देश्य से परिचित कराया।

प्रचार जरूरी है क्योंकि लोग अपनी कमाई का बड़ा भाग घर खरीदने में लगा देते हैं

जांच आयुक्त संजय सिंह ने कहा कि आम लोगों का विश्वास रेरा आने से बढ़ा एवं अब वो अपनी शिकायतों को पूरे विश्वास दाखिल कर रहे हैं एवं इसका लाभ भी उन्हें मिल रहा है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त हिमांशु कुमार राय ने कहा कि दरभंगा प्रमंडल के सभी जिलों रेरा बिहार की अपेक्षा के अनुसार सहयोग प्रदान करेंगे।

अपने विचार व्यक्त करते हुए मिथिला प्रक्षेत्र के डीआईजी मनोज कुमार तिवारी ने कहा कि रेरा कानून के विषय में प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग अपने कमाई का बड़ा भाग घर खरीदने में लगा देते हैं। डीएम कौशल कुमार ने कहा कि वो सभी सीओ को यह निदेश देंगे की रेरा कानून का उल्लंघन करने वालों के विषय में नियमित रूप से रिपोर्ट दें।